



**पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**दिनांक-01-09-2023**

**दिनांक-31/01-09-2023 को रात्रि थाना अलीगंज 01, गुडम्बा 01, विभूतिखण्ड 01 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**इस प्रकार वांछित में कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**भा0द0वि0**

**थाना आशियाना-**दिनांक 01.09.2023 को थाना आशियाना द्वारा बताया गया कि वादी श्री चन्द्र पाल तिवारी पुत्र श्री राम मनोरथ तिवारी निवासी-338 सेक्टर आई, उद्यान 1 एल्डिको कालोनी दिनांक 28.07.2023 को अपने परिवार के साथ तैनाती जनपद मेरठ गया हुआ था। मकान की देखरेख एक व्यक्ति रविकान्त जो कि माली का काम करता है, दिखा कर गया था। दिनांक 30.08.2023 को वादी जब अपने परिवार के साथ घर पर वापस आया तो देखा कि घर के अन्दर का गेट का ताला तोड़कर आलमारी में रखे नगदी करीब एक से डेढ़ लाख रुपये व सोने चांदी के कीमती जेवरात को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना आशियाना पर मु0अ0सं0 371/2023 धारा 380/457 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

**थाना दुबग्गा-**दिनांक 01.09.2023 को थाना दुबग्गा द्वारा बताया गया कि वादी श्री आशीष कश्यप पुत्र रामनाथ कश्यप निवासी-ग्राम मौरा पोस्ट बराबन कला थाना दुबग्गा लखनऊ ने थाना दुबग्गा पर सूचना दिया कि दिनांक 31.08.2023 को समय करीब 10.00 से 11.00 बजे सुबह के बीच वादी का भाई सचिन कश्यप उम्र करीब 24 वर्ष प्रेम चन्द्र के घर के समीप गंभीर रूप से घायल अवस्था में खून से लथ-पथ अवस्था में मिला। वादी द्वारा आस-पास पूछताछ करने पर पता चला कि प्रेम चन्द्र जो कि अवैध शराब बेचते हैं उन्हीं के घर पर वादी का भाई शराब पीकर और साथ में मदनपाल, किशोर यादव, छोटू उर्फ भौकाली के साथ गया था। वादी का भाई सचिन और बाकी तीनों एक साथ में आपस में कोल्डड्रिंक और शराब को लेकर नोक-झोंक करने लगे। उसी दौरान वादी का भाई सचिन उपरोक्त राम चरन जी के काउंटर पर गिर गया, जिसके कारण काउंटर में लगा कांच वादी के भाई सचिन के गले में लग गया। उसके बाद किशोर यादव और मदन पाल ने वादी के भाई सचिन को वहाँ से उठाकर कुछ दूरी पर मंदिर के पास नाली के किनारे ले जाकर छोड़ दिया और करीब 01 घण्टे तक सचिन के घर पर कोई सूचना नहीं दिया। वादी को जब सूचना मिली तो वादी अपने भाई को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने वादी के सचिन कश्यप उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया। **इस सूचना पर थाना दुबग्गा पर मु0अ0सं0 262/2023 धारा 304 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।**

